न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

ठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.

करण संख्याः 01/2021

यर दिनांकः 01.01.2021

र्णय दिनांकः 07.04.2022

उनवान

पेका पुत्री रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण (खाती) निवासी ग्राम भाण्ड़ारेज तहसील, दौसा
न लक्ष्मीनारायण शर्मा जाति ब्राह्मण हाल निवासी मीठी कोठी सूरजपोल म0 नं0 4031 जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

जयप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण (खाती) निवासी ग्राम भाण्ड़ारेज तह. दौसा
रोशन लाल पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण (खाती) निवासी ग्राम भाण्ड़ारेज तह. दौसा
अश्वनी कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण (खाती) निवासी ग्राम भाण्ड़ारेज तह.दौसा
कमलेश पत्नी रामजीलाल जाति जांगिड़ ब्राह्मण (खाती) निवासी ग्राम भाण्ड़ारेज तह. दौसा
ाम पंचायत भाण्ड़ारेज तहसील, दौसा जरिये सरपंच

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत भाण्ड़ारेज तहसील, दौसा नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 05.12.2002 ग्राम भाण्ड़ारेज

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से नामान्तरकरण संख्या 835 निर्णय दिनांक 05.12.2002 ग्राम पंचायत भाण्ड़ारेज के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि विवादित भूमि ग्राम पंचायत भाण्ड़ारेज तहसील, दौसा में स्थित है, जिसके मूल खातेदार अपीलान्ट के पिता रामजीलाल पुत्र गंगाधर थे। रामजीलाल की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 835 गैर कानूनी रूप से खोला गया। मूल खातेदार रामजीलाल पुत्र गंगाधर के तीन पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 व एक पुत्री अपीलान्ट दीपिका है व रामजीलाल की पत्नी कमलेश रेस्पोडेन्ट नम्बर–04 है। मूल खातेदार रामजीलाल पुत्र गंगाधर के कान्ता नाम की कोई पुत्री नहीं है। रामजीलाल की पुत्री का सही नाम दीपिका है। अपीलान्ट के पढ़ाई के कागजात में भी दीपिका पुत्री रामजीलाल दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कान्ता पुत्री रामजीलाल का नाम हटाया जाकर दीपिका पुत्री रामजीलाल दर्ज कराया जाना नितान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:04:36 IST
Reason: Self Attested

लगातार......2.....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज)

आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 835 निर्णय दिनांक 05.12.2002 निरस्त कर अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम दीपिका पुत्री रामजीलाल दर्ज रिकार्ड करने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 लगायत 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि मूल खातेदार रामजीलाल के कान्ता नाम की पुत्री नहीं है, बल्कि पुत्री का नाम दीपिका है। अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण में दर्ज कान्ता पुत्री रामजीलाल के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दीपिका पुत्री रामजीलाल दर्ज करने का अनुरोध रेस्पोडेन्ट की ओर से किया गया है।

प्रकरण में उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट की ओर से अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से बताया गया कि खातेदार रामजीलाल के कान्ता नाम की पुत्री नहीं है, बल्कि पुत्री का नाम दीपिका है। प्रश्नगत नामान्तकरण में दर्ज कान्ता पुत्री रामजीलाल के स्थान पर अपीलान्ट का नाम दीपिका पुत्री रामजीलाल दर्ज करने का कथन रेस्पोडेन्ट की ओर से किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम गलत अंकित होने के कारण उसको सही रूप में दर्ज करने में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। अतः नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 05.12.2002 ग्राम भाण्ड़ारेज को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 835 दिनांक 05.12.2002 ग्राम भाण्ड़ारेज को निरस्त किया जाकर इस आशय के साथ रिमाण्ड़ किया जाता है कि उभय पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाकर एवं विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित मूल नामान्तरकरण वापस लौटाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया था मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:04:36 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)